"मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद"

नियमावली

1. संस्था का नाम : मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद।
2. कार्यालय : नर्मदा भवन (सी ब्लॉक–द्वितीय तल) 59–अरेरा हिल्स, भोपाल–462011
3. विस्तार एवं प्रयुक्ति : ये नियम परिषद से संबद्ध समस्त इकाईयों और गतिविधियों पर लागू होंगे। ये नियम मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973, के तहत मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के पंजीयन की तिथि से प्रभावशील होंगे।
4. कार्यक्षेत्र : संपूर्ण मध्यप्रदेश।
5. उद्देश्य : मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :

   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिरोपित ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण परिवारों के वयस्क व्यक्तियों को, जो अकुशल मानव श्रम करने हेतु तत्पर हैं, एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को कम से कम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुनिश्चित करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन तथा इससे सम्बद्ध एवं प्रासंगिक समस्त विषयों पर कार्यवाही।
6. परिभाषाएँ : जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इन नियमों में :

   (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों के संदर्भ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 2 में उल्लेखित परिभाषायें यथा स्थान प्रभावशील होंगी।

   (ख) योजना में प्रयुक्त शब्द "परिवार" से तात्पर्य अधिनियम के अध्याय–1 की धारा 2 (एफ) के अंतर्गत "Household" से है।

   (ग) संस्था से अभिप्राय मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल से होगा।

   (घ) आयुक्त से अभिप्राय राज्य शासन द्वारा नियुक्त परिषद के आयुक्त से होगा।

   (ङ) स्वयं सेवी संस्था से अभिप्राय शासन द्वारा निर्धारित नियमों के तहत पंजीकृत संस्था, ट्रस्ट या अन्य संगठन से होगा।

   (च) सामान्य सभा से अभिप्राय इन नियमों के तहत गठित सभा से होगा।

   (छ) अध्यक्ष से अभिप्राय इन नियमों के तहत गठित सामान्य सभा के अध्यक्ष से होगा।

   (ज) उपाध्यक्ष से अभिप्राय इन नियमों के तहत गठित सामान्य सभा के उपाध्यक्ष से होगा।
7. परिषद की सामान्य सभा : परिषद की सामान्य सभा में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

   (i) मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन – अध्यक्ष।

   (ii) मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास – उपाध्यक्ष।

   (iii) पदेन सदस्य : मंत्री, वित्त, वन, जल संसाधन, राजस्व, लोक निर्माण, कृषि, योजना, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन।

प्रद्युम्न सिंह संचालक

राजीव ... उमाकांत शुक्ला

(iv) उपाध्यक्ष, राज्य योजना मण्डल।

(v) मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन।

(vi) प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास – सदस्य सचिव।

(vii) प्रमुख सचिव, वित्त, वन, जल संसाधन, राजस्व, लोक निर्माण, कृषि, योजना, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन।

(viii) आयुक्त, सदस्य।

(ix) नामांकित सदस्य : राज्य शासन द्वारा नामांकित 6 अशासकीय सदस्य रहेंगे जिनमें से कम से कम 2 महिलाएँ होंगी। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि–1, अनु.जाति–1, अनु. जनजाति–1, अन्य पिछड़ा वर्ग–1, अल्पसंसख्यक–1, गैर शासकीय संगठन–1 का प्रतिनिधि होना अनिवार्य होगा।

8 सदस्यों का कार्यकाल :

(क) नियम 7 की विभिन्न श्रेणियो के अंतर्गत आने वाले पदेन सदस्य संबंधित पद धारित करने तक सभा के सदस्य बने रहेंगे और ऐसे पदों से हटते ही उनकी सदस्यता स्वत: समाप्त हो जावेगी। इस प्रकार जिस व्यक्ति की सदस्यता समाप्त होगी उसके संबंधित पद पर उत्तराधिकारी ऐसे पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सभा का सदस्य बन जायेगा और सदस्य के रूप में उसका कार्यकाल भी उसी प्रकार माना जावेगा।

(ख) नामांकित सदस्यों का कार्यकाल – नियम 7 के अंतर्गत नामांकित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। ऐसे सदस्य पुन: नामांकन के लिये अर्ह होंगे। नामांकित सदस्य की सदस्यता परिषद द्वारा नामांकन संबंधी अधिकारी सूचना जारी करने की तिथि से आरंभ होगी।

(ग) नवीन सदस्यता या सदस्यों के नामांकन हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 12 (1) के अनुसार राज्य शासन सक्षम होगा।

9 सदस्यता की समाप्ति :

किसी सदस्य द्वारा त्यागपत्र देने या मानसिक रूप से विकृत हो जाने या दिवालिया हो जाने या नैतिक अध: पतन के स्वरूप के अपराध के लिए दंडित होने की दशा में उसकी सदस्यता स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

10 सदस्यता से त्याग पत्र :

साधारण सभा की सदस्यता से त्यागपत्र, साधारण सभा के सदस्य सचिव को भेजा जावेगा और वह तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक उसे अध्यक्ष द्वारा स्वीकार न कर लिया जावे।

11 मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की सामान्य सभा के कार्य :

(i) राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. योजना का सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन को सलाह देना।

(ii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 12 (3) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कार्य।

(प्रद्युम्न शर्मा)
संचालक
प्र.शि.नि.पको

डॉ. राजीव ...
... आयुक्त ...

... सन्तमौलि शुक्ला
... (प्रशासन)
... गारंटी ...

(iii) योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करना।

(iv) केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद से आवश्यक सामन्जय स्थापित करना।

(v) योजना के कियान्वयन से संबंधित पर्यवेक्षण, अनुश्रवण करना।

(vi) राज्य शासन द्वारा विधानसभा मे प्रस्तुत किये जाने हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

(vii) केन्द्रीय परिषद अथवा राज्य शासन द्वारा निर्देशित अन्य कार्यो को निष्पादित करना।

(viii) केन्द्र सरकार, राज्य शासन एवं स्वायत्त संस्थाओं के सहयोग से परिषद के उद्देश्यो की प्राप्ति के लिये उपयुक्त अधिकार सम्पन्न प्रशासनिक ढांचा निर्मित करना।

(ix) परिषद के कार्य संचालन हेतु नियम बनाना, आवश्यकतानुसार नियमों में संशोधन करना, नियमों में परिवर्तन करना और नियमों को निरस्त करना।

(x) राज्य स्तरीय सशक्त समिति को ऐसी शक्तियां एवं कर्तव्य सौंपना जैसा परिषद उचित समझें।

(xi) राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट पर विचार कर अनुमोदन करना।

(xii) ऐसे समस्त कार्य एवं गतिविधियां हाथ में लेना जो परिषद के उद्देश्यो की प्राप्ति के लिये आवश्यक हो।

12. सामान्य सभा की बैठके :

12.1 सामान्य सभा की बैठके निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर आयोजित होगी। सामान्य सभा की बैठके आवश्यकतानुसार आयोजित की जावेगी परंतु प्रत्येक वित्त वर्ष में सामान्य सभा की कम से कम दो बैठके आवश्यक होगी।

12.2 जब तक नियमों में अन्यथा प्रावधानित न हो, समस्त बैठके सदस्य–सचिव के हस्ताक्षर से जारी नोटिस द्वारा बुलाई जावेगी।

12.3 सामान्य सभा की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा एवं उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा की जावेगी।

12.4 सामान्य सभा के कोरम के लिए एक तिहाई सदस्यों की व्यक्तिशः उपस्थिति आवश्यक होगी परंतु स्थगित बैठक के लिए कोरम आवश्यक नहीं होगा।

12.5 सामान्य सभा की बैठको में सभी विवादित मुद्दों का निर्णय मतदान द्वारा होगा और पक्ष–विपक्ष मे समान मत पडने की स्थिति मे बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति निर्णायक मत देगा।

सामान्य सभा की हर बैठक का नोटिस उसके कम से कम 10 दिन पहले प्रत्येक सदस्य को दिया जावेगा परंतु अध्यक्ष 3 दिन के नोटिस पर आपात बैठक बुला सकेंगे।

13 सशक्त समिति

परिषद की एक राज्य स्तरीय सशक्त समिति होगी। सशक्त समिति का गठन निम्नानुसार होगा :

(i) मुख्य सचिव – अध्यक्ष।

चन्द्रमौलि शुक्ला
अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
राज्य रोजगार गारंटी